Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजकुमार पुत्र तेजाराम जाति बाहम्मण निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम श्याम सुन्दर वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 104/2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.07.2023	आज यह प्रार्थना पत्र राजकुमार ने जरिये श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। खेत खसरा नंबर 1101/213 तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1101/213 तादादी 7.3800 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 21.08.2023 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 21.08.2023 को पेश हों । [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
21.8.2023	P.O. H.O. आज अवकाश पर है। पत्रावली पेश हुई! आज बार सघ द्वारा काय स्थगित रखा गया है! पत्रावली वास्ते तलबी Reg AD आयन्दा दिनांक 24.8.2023 [illegible] हो! [signature]	
24.8.2023	पत्रावली पेश हुई। [illegible] जो नोट प्रेस किया [illegible] प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है, लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील व [illegible] नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	[illegible] राजकुमार [illegible] [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.09 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested